पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईडब्लू–6 दिनांक :25.08.2020

विषयः–पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
अधीक्षण अभियन्ता/उपमाहाप्रबन्धक,
अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल, ...।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 842/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–22 दिनांक 12.06.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेवानिवृत्त एवं मृत कार्मिकों के देयों के भुगतान तथा समय से पेन्शन के प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी।

इस सम्बन्ध में पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 683/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ–22 दिनांक 27.06.2020 द्वारा कारपोरेशन आदेश संख्या 842/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–22 दिनांक 12.06.2014 में दी गयी व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

सेवानिवृत्त कार्मिक के पेन्शन प्रकरणों एवं अन्य सेवानिवृत्तक लाभों का समय से निस्तारण न होने के कारण सेवानिवृत्त कार्मिक मा0 सक्षम न्यायालय में वाद योजित कर पेंशन एवं स्वीकृत ग्रेच्युटी की धनराशि पर ब्याज की मांग करता है तथा मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों/स्तरों पर पत्राचार करता है, जिस कारण जहाँ एक ओर सेवानिवृत्त कार्मिक को अनावश्यक परेशानी एवं आर्थिक हानि होती है वहीं दूसरी ओर कारपोरेशन की छवि भी धूमिल होती है।

अतः सेवानिवृत्त एवं मृत कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देंयों के भुगतान तथा समय से पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु कारपोरेशन आदेश संख्या 842/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–22 दिनांक 12.06.2014 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का स्वयं तथा अपने अधीनस्थों से पालन करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के विलम्ब हेतु सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे, जिस हेतु सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईडब्लू–6 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, विद्युत भवन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक 1010 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईडब्लू–6 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, विद्युत भवन, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

25/8/2020
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)